



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092026-276530
CG-DL-E-26092026-276530

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5103]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2026/आश्विन 3, 1948

No. 5103]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2026/ASVINA 3, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2026

का.आ. 5310(अ).— केंद्रीय सरकार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की पहली अनुसूची के तीसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5206 (अ) तारीख 22 सितंबर, 2026, को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, तारीख 1 अक्टूबर, 2026 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिससे और जब से गुजरात राज्य में 15 गैर-कार्यान्वित जिलों, अर्थात् अमरेली, अरावली, बनासकांठा, बोटद, छोटा उदेपुर, दाहोद, डांग, देवभूमि द्वारका, गिर सोमनाथ, कच्छ, महीसागर, नर्मदा, पाटन, तापी, वाव-थराद के संपूर्ण क्षेत्रों में और 16 आंशिक रूप से कार्यान्वित जिलों, अर्थात् अहमदाबाद, आणंद, भरूच, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, खेडा, मेहसाणा, मोरबी, नवसारी, पंचमहल, पोरबंदर, राजकोट, साबरकांठा, सूरत, सुरेंद्रनगर के संपूर्ण क्षेत्रों में स्थित ऐसे स्थापनों के नियोक्ताओं और कर्मचारियों से अंशदान धारा 29 के अधीन देय होगा और कर्मचारी राज्य बीमा निगम से संबंधित अध्याय 4 के अधीन कोई भी हितलाभ निगम द्वारा ऐसे स्थापनों के कर्मचारियों को प्रदान किए जाएंगे।

[फा. सं. एस-38013/21/2023-एसएस-1]

आशुतोष ए.टी. पेडणेकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th September, 2026

S.O. 5310(E).— In exercise of the powers conferred by the third proviso to First Schedule of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020), and in supersession of notification of the Government of India, Ministry of Labour and Employment *vide* number S.O. 5206 (E), dated the 22nd September, 2026, published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints the 1st day of October, 2026, as the date on and from which the contribution from the employers and employees of establishments in the entire areas of 15 non-implemented districts, namely Amreli, Aravalli, Banaskantha, Botad, Chhota Udepur, Dahod, Dang, Devbhoomi Dwarka, Gir Somnath, Kutch (Kachchh), Mahisagar, Narmada, Patan, Tapi, Vav–Tharad and in the entire areas of 16 partially implemented districts, namely Ahmedabad, Anand, Bharuch, Bhavnagar, Jamnagar, Junagadh, Kheda, Mehsana, Morbi, Navsari, Panchmahal, Porbandar, Rajkot, Sabarkantha, Surat and Surendranagar, in the State of Gujarat shall be payable under section 29 and any benefits under Chapter IV relating to the Employees State Insurance Corporation are provided by the Corporation to the employees of such establishments.

[F.No. S-38013/21/2023-SS-I]

ASHUTOSH A.T. PEDNEKAR, Jt. Secy.